संख्या- 32/2025/665/78-2-2025-ई-1052026

प्रेषक,

राहुल सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यूपीएलसी, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांकः 17 जून,2025**

विषयः "उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर (प्रथम संशोधन) नीति-2021" के अन्तर्गत निवेशक- मेसर्स एसटी टेलीमीडिया ग्लोबल डाटा सेन्टर्स इण्डिया प्रा0लि0 को दो ग्रिड लाइनों द्वारा विद्युत आपूर्ति का लाभ प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

'उ0प्र0 डाटा सेन्टर नीति-2021' के अन्तर्गत निवेशक- मेसर्स एसटी टेलीमीडिया ग्लोबल डाटा सेन्टर्स इण्डिया प्रा0लि0 द्वारा भूखण्ड सं0 1, सेक्टर 143ए, नोएडा- आगरा एक्सप्रेसवे, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर में दो चरणों में 56 मेगावॉट क्षमता के डाटा सेन्टर पार्क की स्थापना के लिए लगभग रु0 1130.00 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर माननीय मंत्रि-परिषद के अनुमोदनोपरान्त आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-1398(1)/78-2-2022-54एलसी/2019 दिनांक 09 नवम्बर, 2022 के क्रम में नोडल संस्था-यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा लेटर ऑफ कम्फर्ट क्रमांक यूपीएलसीः डाटा सेन्टर पॉलिसीः 2021(STT)/1244 दिनांक 16 नवम्बर,2022 निर्गत किया गया है, जिसके द्वारा निवेशक को निम्नलिखित विवरणानुसार वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन कतिपय शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये गये हैंः-

वित्तीय प्रोत्साहन			**(रु0 करोड़)**
विवरण	**निवेशक द्वारा मांगी गई धनराशि**	**नीति के अधीन अनुमन्यता**	**अनुमन्य वित्तीय प्रोत्साहन**
(1)	(2)	(3)	(4)
ब्याज उपादान	50.00 वास्तविक आधार पर	**नीति के प्रस्तर 7.1 (अ) के अनुसारः-** प्रति वर्ष रु0 10 करोड़ के प्रतिबन्ध सहित 7 वर्षो तक वार्षिक ब्याज के 60 प्रतिशत तक जिसकी कुल सीमा प्रति पार्क रु0 50 करोड़ होगी	वास्तविक आधार पर अधिकतम रु0 50.00 करोड़ तक अनुमन्यता

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

ट्रॉसमिशन तथा व्हीलिंग शुल्क	37.70 वास्तविक आधार पर	**नीति के प्रस्तर 7.1 (द) (ii) के अनुसारः-** • विद्युत ऊर्जा के इन्ट्रास्टेट (राज्य के अन्दर) उपयोग पर व्हीलिंग शुल्क / ट्रॉसमिशन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट परियोजना के चालू होने की तिथि से 25 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी। • इन्ट्रास्टेट ट्रॉसमिशन प्रणाली पर ऊर्जा के अन्तर्राज्यीय विक्रय हेतु व्हीलिंग शुल्क / ट्रॉसमिशन शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट परियोजना के चालू होने की तिथि से 25 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी। • राज्य के बाहर से ऊर्जा के आयात पर इन्ट्रास्टेट प्रणाली पर 5 वर्षों तक ट्रॉसमिशन शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट। यह केवल उन्हीं परियोजनाओं पर लागू होगी जो नीति की अवधि (5 वर्षों) के दौरान परिचालनरत/ आरम्भ हो गये हों।	नीति के अन्तर्गत अनुमन्यता।

2- निवेशक को नीति के तत्कालीन प्राविधानों के अनुरूप दो ग्रिड लाइनों द्वारा विद्युत आपूर्ति का लाभ अनुमन्य नहीं किया गया है। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1399/78-2-2022/10 (एम)/2021 दिनांक 07 नवम्बर, 2022 द्वारा ''उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति-2021'' के संशोधन उपरान्त, मेसर्स एसटी टेलीमीडिया ग्लोबल डाटा सेन्टर्स इण्डिया प्रा0लि0 द्वारा वर्तमान में प्रचलित ''उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर (प्रथम संशोधन) नीति-2021'' के अन्तर्गत दो ग्रिड लाईनों द्वारा विद्युत आपूर्ति का लाभ प्रदान किये जाने की मांग की गई है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदया मेसर्स एसटी टेलीमीडिया ग्लोबल डाटा सेन्टर्स इण्डिया प्रा0लि0 को ''उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर (प्रथम संशोधन) नीति-2021'' के अन्तर्गत दो ग्रिड लाईनों द्वारा विद्युत आपूर्ति का लाभ प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करती हैंः-

1. निवेशक को एक ग्रिड की लागत (दोनो ग्रिड में जो कम हो, जोकि विचाराधीन प्रकरण में रु0 59,35,96,245/- (रुपये उनसठ करोड़, पैंतीस लाख, छियानबे हजार, दौ सौ पैंतालीस मात्र) है) की प्रतिपूर्ति आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा वहन की जायेगी तथा अन्य ग्रिड की लागत डाटा सेन्टर पार्क

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

द्वारा वहन की जायेगी। तद्नुसार नोडल संस्था-यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा निवेशक को प्रदत्त लेटर ऑफ कम्फर्ट दिनांक 16 नवम्बर, 2022 को संशोधित किया जायेगा।

2. निवेशक द्वारा एक ग्रिड की लागत (दोनो ग्रिड में जो कम हो) की प्रतिपूर्ति हेतु नोडल एजेन्सी को आवेदन परियोजना के व्यवसायीकरण के पश्चात ही किया जा सकेगा और इस हेतु नीति में निर्धारित न्यूनतम अहर्ता पर कोई पर इकाई के संचालन की पुष्टि करने के उपरांत ही प्रस्ताव विचार किया जायेगा।
3. निवेशक को ''उ0प्र0 डाटा सेन्टर नीति-2021'' के अन्तर्गत वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या:1398(1)/78-2-2022-54एलसी/2019 दिनांक 09 नवम्बर, 2022 तथा नोडल संस्था-यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्गत लेटर ऑफ कम्फर्ट क्रमांक यूपीएलसीः डाटा सेन्टर पॉलिसी:2021(STT)/1244 दिनांक 16 नवम्बर, 2022 में निहित अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध पूर्ववत् रहेंगे।
4. ''उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर (प्रथम संशोधन) नीति-2021'' के प्राविधानों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नीति के अन्तर्गत विचाराधीन प्रकरण के संबंध में वास्तविक पूँजी निवेश का आंकलन तथा अनुमन्य प्रोत्साहन सन्दर्भगत नीति के अनुरुप तथा सुसंगत शासनादेश के अन्तर्गत प्राविधानित सीमा के भीतर एवं शर्तों के अनुसार अनुमन्य होंगे।
6. नोडल एजेन्सी-यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा सुसंगत शासनादेशों /अधिनियम/ विनियम / दिशा-निर्देशों के अनुरुप कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी स्वयं उत्तरदायी होगें।

कृपया उक्त निर्णय / दिशानिर्देशों से निवेशक को अवगत कराते हुए प्रकरण में नियमानुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
राहुल सिंह
विशेष सचिव

<u>पृष्ठांकन संख्या- 665(1)/78-2-2025- एवं दिनांक तदैव:-</u>

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल महोदया, उ0प्र0।
2- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
7- अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8- अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/ सचिव, वित्त, नियोजन, न्याय, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, वाणिज्य कर, ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, श्रम एवं सेवायोजन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नगर विकास एवं राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

9- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।

10- निजी सचिव, विशेष सचिव,आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।

11- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

12- मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

13- जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर।

14- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

15- अपर निदेशक / महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, गौतमबुद्ध नगर।

16- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड।

17- प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, गोमती नगर, लखनऊ।

18- गार्डफाइल।

आज्ञा से,
अर्जुन देव भारती
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।